पत्रांक 1प्रा0आ0–06/2016 2964 /आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियां/ किशनगंज/ अररिया/ दरभंगा/ मधेपुरा/ भागलपुर/ कटिहार/ सहरसा/ सुपौल/ गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/ पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण

पटना–15, दिनांक– 5/8/16

विषयः **बाढ़ प्रभावितों को साहाय्य मानदर के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिले में बाढ़ के कारण प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत प्रावधानित मानदरों के अनुरूप शीघ्र सहायता उपलब्ध कराया जाना है। बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु साहाय्य के विभिन्न मदों में आपको पूर्व मे राशि आवंटित की गयी है एवं आवश्यकतानुसार राशि आबंटित की जा रही है। जिलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाकर प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को साहाय्य दिया जा रहा है। इस संबंध में कहना है कि बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रकिया के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को निम्न रूपेण साहाय्य उपलब्ध कराया जाए :

1. **अनुग्रह अनुदान** – बाढ़ के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, उनके निकटतम आश्रितों को साहाय्य मानदर के प्रावधान के अनुरूप 4 (चार) लाख रूपये का भुगतान किया जाना है। सरकार का निदेश है कि अनुग्रह अनुदान का भुगतान मृत्यु होने के 24 घंटे के अन्दर किया जाए। जिलों द्वारा तदनुसार भुगतान किया जा रहा है। फिर भी जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मामले में शीध्रताशीघ्र भुगतान हो। आपदाओं में माता/ पिता की मृत्यु हो जाने पर अनाथ नाबालिगों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विभागीय पत्रांक 2961 दिनांक 05.08.2016 के अनुसार किया जाएगा।

2. **मुफ्त साहाय्य (Gratuitous relief)** - बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मुफ्त साहाय्य (Gratuitous relief) के रूप में नकद अनुदान मद में ₹ 3000 रूपये एवं खाद्यान्न हेतु

₹ 3000 रूपये; कुल ₹ 6000/- का भुगतान किया जाएगा। किन्तु जिन परिवारों के घर बाढ़ के कारण पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हो गये हों उन परिवारों को उपरोक्त ₹ 6000/- के साथ बर्त्तन हेतु ₹ 2000 रूपये एवं वस्त्र हेतु ₹ 1800 रूपये अर्थात कुल 6000 + 2000 + 1800 = ₹ 9800/- की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। राशि का भुगतान यथानुसार RTGS/NEFT/ चेक के माध्यम से किया जाएगा। केवल आपवादिक मामले में जिला पदाधिकारी स्वविवेक से नकद भुगतान का निर्णय ले सकते हैं। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1642 दिनांक 22.04.2016 पूर्व में प्रेषित किया गया है।

3. **गृह क्षति अनुदान** – जिन परिवारों के मकान/झोपड़ी/पशुशेड बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हों, उन मकानों का तुरंत सर्वेक्षण कर साहाय्य मानदर के अनुरूप राशि का भुगतान RTGS/NEFT/ चेक के माध्यम से किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त गृहों की फोटोग्राफी गृह स्वामी अथवा उनके परिवार के सदस्यों के साथ अनिवार्य रूप से की जाएगी जो अभिलेख का भाग बनेगा।

4. **कृषि इनपुट अनुदान** – बाढ़ के कारण जिन क्षेत्रों में फसल की क्षति हुई है उन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति के रकवा का आकलन कर लिया जाय एवं साहाय्य मानदर के अनुरूप राशि का भुगतान RTGS/NEFT/ चेक के माध्यम से किया जाए। फसल क्षति के मामले में सर्वेक्षण एवं राशि भुगतान हेतु विभागीय पत्रांक 1602 दिनांक 02.05.2015 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

5. **पशु क्षति अनुदान** – बाढ़ के कारण पशुओं के भी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। इस हेतु आवश्यक है कि इसका सर्वेक्षण करवा लिया जाए एवं मृत पशु हेतु अनुदान की राशि साहाय्य मानदर के अनुरूप इसके मालिक को अतिशीघ्र उपलब्ध करवा दिया जाए।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
Sd/- 5/8/16
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 2964/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 5/8/16

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 5/8/16
संयुक्त सचिव